# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

बईजलास – श्री सुरेन्द्र बी पाटीदार, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 37/2023
दायर दिनांक :– 18.05.2023

अनवान

भूरदास पिता रामसुखदास बैरागी नि. बेकली की झुपडिया तह. जहाजपुर
वादी.........

बनाम

1. महावीर दास पिता जमनादास बैरागी नि. बेकली की झुपडिया तह. जहाजपुर
2. धर्मराज दास पिता जमनादास बैरागी नि. बेकली की झुपडिया तह. जहाजपुर
3. तहसीलदार जहाजपुर तह. जहाजपुर

प्रतिवादीगण......

## :: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183, 188 आर. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक
1. श्री सलीम मोहम्मद, वकील वादी
2. श्री महावीर सनाढय, वकील प्रतिवादीगण

## :: निर्णय ::

दिनांक 10.06.2024

वादी का वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बेकली पटवार हल्का मनोहरपुरा भू. अ. नि. क्षेत्र अमरगढ तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा, राजस्थान की आराजी खसरा संख्या 613/2 रकबा 1.2950 हैक्टेयर कृषि भूमि वादी के नाम खातेदारी मे दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2077 पेश है। वर्णित कृषि जमीन वादी के खातेदारी एंव कब्जे काश्त की भूमि है। सन् 2021 मे वादी की कृषि भूमि में सीमा बिन्दु को लेकर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा विवाद करने तथा वादी के कब्जे काश्त की जमीन के सीमा बिन्दु के अन्दर घुसकर कुछ भू भाग पर अतिचार करने लगे, तब वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को मना किया तो उन्होने कहा कि आप अपनी जमीन की पत्थरगढी करवा लो तथा कब्जा हमारी तरफ निकलता है तो हम कब्जा छोड देगें, जिस पर वादी ने न्यायालय श्रीमान् के यहां पत्थरगढी कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या 39/2022 पेश किया जिस पर माननीय न्यायालय आप ने वाद पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमि की पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिनांक 2.3.2022 को पारित किया। उक्त आदेश की पालना मे दिनांक 12.4.2023 को राजकीय प्राधिकृत अधिकारी गिरदावर हल्का व पटवार हल्का द्वारा मुस्तकील पोईन्ट से जरीब चलाकर

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (शाहपुरा)

वादी एवं प्रतिवादीगण व मौका पर्चा मे उपस्थित मौतबिरान की मौजूदगी मे पत्थरगढी कर मौके पर पत्थर गढवाये गये तथा पत्थरगढी मौका पर्चा दिनांक 12.04.2023 मे नजरी नक्शा अनुसार वादी की कृषि भूमि आराजी नम्बर 613/2 के दक्षिणी–पश्चिमी भाग पर मेड के सहारे प्रतिवादी संख्या 1 व 2 महावीर दास, धर्मराज पुत्र जमनादास जाति बैरागी निवासी बेकली की झूपडिया का 9 बिस्वा भू भाग पर यानि पत्थरगढी मौका पर्चा मे दर्शा रखा भू भाग पर अवैद्य अतिचार/ कब्जा कर रखा है तथा वादी ने पत्थरगढी होने पर प्रतिवादी सख्या 1 व 2 को कब्जा छोडने की कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने कब्जा छोडने से मना कर दिया तथा लडाई झगडा करने पर आमदा हुए। इसलिये वाद पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित कृषि आराजी संख्या 613/2 मे पत्थरगढी मोका पर्चा अनुसार दक्षिणी–पश्चिमी मेड के सहारे 9 बिस्वा भूमि पर प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 द्वारा कर रखा अवैद्य कब्जाध्अतिचार से बेदखल कर पुनः कब्जा वादी को दिलाये जाने की घोषणात्मक डिक्री वादी के पक्ष मे पारित किया जाना आवश्यक एंव न्याय संगत है एंव बाद कब्जा वादी को दिलाने पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वादी के कब्जा कास्त में बाधा न डाले, न डलवावे, न नोकर एजेन्ट रिश्तेदार डाले कि स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण सादर पारित किया जाना आवश्यक एंव न्याय संगत है। वाद हेतुक 12.04.2023 को पत्थरगढी करने पर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा कब्जा छोडने से मना करने से वाद हेतुक 12.04.2023 से उत्पन्न होकर निरंतर जारी है। वर्णित कृषि आराजी खसरा संख्या 613/2 रकबा 1. 2950 हैक्टेयर कृषि भूमि पर पत्थरगढी मौका पर्चा मे नजरी नक्शा मे दर्शित दक्षिणी–पश्चिमी भाग की मेड के सहारे मौका पर्चा मे दर्शा रखा भू भाग पर प्रतिवादी संख्या 1 महावीरदास व प्रतिवादी संख्या 2 धर्मराज दास द्वारा 9 बिस्वा भूमि पर कर रखा अवैद्य कब्जा (अतिक्रमण/अतिचार) से बेदखल कर कब्जा पुनः वादी को दिलाये जाने की घोषणात्मक डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण सादर पारित करना फरमावें। बाद कब्जा पुनः वादी को दिलाने पर प्रतिवादीगण वादी के कब्जा काश्त मे बाधा न डाले, न अपने परिवार, न अपने नोकर, एजेन्ट, रिश्तेदारो से डलवावे कि स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण सादर पारित करना फरमावे।

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण की और से श्री महावीर सनाढय, एडवोकेट द्वारा अधिकार पत्र प्रस्तुत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (शाहपुरा)

वकील वादी ने वादपत्र की ताईद में खाता सं. 84 नकल जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2077 की प्रति, दिनांक 12.04.2023 को कराई गई पत्थरगढी का मौका पर्चा, पत्थरगढी आदेश की प्रति, नक्शा ट्रेस की प्रति प्रस्तुत की है जो शामिल फाईल है।

वकील वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा प्रस्तुत कर वाद पत्र को राजीनामा अनुसार आदेश प्रदान किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

वकील वादी एवं वकील प्रतिवादीगण की बहस सुनी गई। वकील वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा बहस के दौरान राजीनामा अनुसार विवादित कृषि भूमि में वादी एव प्रतिवादीगण की भूमि का भू माप कराकर अपना अपना कब्जा स्वंय वादी व प्रतिवादीगण को सुपुर्द किये जाने की डिक्री जारी किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैने वकील वादी एवं वकील प्रतिवादीगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अतः प्रस्तुत राजीनामा अनुसार विवादित कृषि भूमि में वादी एव प्रतिवादीगण की भूमि का भू माप किया जाकर अपना अपना कब्जा वादी व प्रतिवादीगण को सुपुर्द किये जाने की डिक्री किया जाना उचित होने से उपरोक्तानुसार न्यायालय वादीगण के वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर राजीनामा अनुसार डिक्री किया जाना उचित समझता है।

अतः वादी का वाद पत्र राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाकर डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम बेकली पटवार हल्का मनोहरपुरा भू.अ.नि.क्षेत्र अमरगढ तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा, राजस्थान की वादी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 613/2 रकबा 1.2950 हैक्टेयर तथा प्रतिवादीगण की खातेदारी आराजी सं. 613/1 रकबा 1.2950 हैक्टेयर भू भाग पर विवादित कृषि भूमि में वादी एव प्रतिवादीगण की भूमि का भू माप किया जाकर अपना अपना कब्जा वादी व प्रतिवादीगण को सुपुर्द किये जाने का आदेश दिया जाता है। पर्चा डिक्री मुर्तिब किया जावे। पक्षकार खर्चा अपना–2 वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 10.06.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र बी पाटीदार)
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (शाहपुरा)

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (शाहपुरा)

# डिकी व मुकदमें इब्तदाई

( ओ 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दीवानी )

**अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी मुकाम –जहाजपुर (शाहपुरा)**
**ब ईजलास – श्री सुरेन्द्र बी. पाटीदार, आर.ए.एस**

अनवान

भूरदास पिता रामसुखदास बैरागी नि. बेकली की झुपडिया तह. जहाजपुर

वादी..........

बनाम

1. महावीर दास पिता जमनादास बैरागी नि. बेकली की झुपडिया तह. जहाजपुर
2. धर्मराज दास पिता जमनादास बैरागी नि. बेकली की झुपडिया तह. जहाजपुर
3. तहसीलदार जहाजपुर तह. जहाजपुर

प्रतिवादीगण......

दावा बाबत – **183, 188 आर. टी. ए.**
प्रकरण संख्या :– 37 / 2023

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उदायत व हाजरी श्री सलीम मोहम्मद का मिनजानिब मुदई व श्री महावीर सनाढय का मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि .

अतः वादी का वाद पत्र राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाकर डिकी इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम बेकली पटवार हल्का मनोहरपुरा भू. अ. नि. क्षेत्र अमरगढ तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा राजस्थान की वादी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 613 / 2 रकबा 1.2950 हैक्टेयर तथा प्रतिवादीगण की खातेदारी आराजी सं. 613 / 1 रकबा 1.2950 हैक्टेयर भू भाग पर विवादित कृषि भूमि में वादी एव प्रतिवादीगण की भूमि का भू माप किया जाकर अपना अपना कब्जा वादी व प्रतिवादीगण को सुपुर्द किये जाने का आदेश दिया जाता है। पक्षकार खर्चा अपना–2 वहन करे।

बसब्त मेंरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10.06.2024

मुहर

**(सुरेन्द्र बी. पाटीदार)**
**उपखण्ड अधिकारी,**
**जहाजपुर (शाहपुरा)**

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (शाहपुरा)